

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या—9 / उपांकीट०—75 / 2009—

/ कृ०, पटना, दिनांक मई, 2015

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स फोलिएज क्रॉप सोल्युशन्स प्रा०लि०,
कमरा संख्या—6, द्वितीय तल,
नूतन सूर्य प्रभा मेन्शन, न्यू डाकबंगला रोड़,
पटना।

विषय :— कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञाप्ति संख्या 09—10 दिनांक 30.11.2010 का नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे प्राप्त आवेदन, कोषागार चालान एवं उप निदेशक, पौ० सं०, पटना प्रमंडल, पटना के स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य संगत कागजातों के आलोक में कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के तहत प्रिसिंपल सर्टिफिकेट एवं विनिर्माण अनुज्ञाप्ति के तहत स्वनिर्मित कीटनाशियों का नवीकरण 31.12.2016 तक किया जाता है।

क्र०	कीटनाशी का नाम
1	Gibberellic Acid 0.001% Liquid
2	Neem Seed Kernel Based E.C. (Triterpenoid)Containig Azadirachtin 0.15% EC)
3	Neem Oil Based EC Containing Azadirachtin 0.03% W/ W Min

2—उपरोक्त कीटनाशियों का भंडारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा— मेसर्स फोलिएज क्रॉप सोल्युशन्स प्रा० लि०, प्लॉट नं०—3, खाता नं०—107 एवं 103, खेसरा नं०—4627463, थाना नं०—15, एन० एच०—30, ट्रान्सपोर्ट नगर, पटना।

3—यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञाप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/ भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5—भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6—अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7—नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस रेस्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8—अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्री प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह०/—

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक २२८८

/ कृ०, पटना, दिनांक मई, 2015

प्रतिलिपि— (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान)/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बैकसाईट पर अप्लोड करने हेतु प्रेषित।

W

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।